उत्तर प्रदेश शासन
कार्मिक अनुभाग-4
संख्या-15/10/94(2)-का-4-2006
लखनऊ :: दिनांक :: 06 जुलाई, 2006
कार्यालय-ज्ञाप

मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासनादेश संख्या-15/10/94-का-4-2006, दिनांक 06 जुलाई, 2006 के द्वारा नवसृजित उर्दू अनुवादक-सह-वरिष्ठ लिपिक, वेतनमान रूपये 4000-100-6000 के पदों पर नियुक्ति हेतु श्री राज्यपाल महोदय निम्नलिखित प्रक्रिया निर्धारित किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

नियुक्ति प्राधिकारी	(1)	उर्दू अनुवादक-सह-वरिष्ठ लिपिक के पद के नियुक्ति प्राधिकारी का तात्पर्य ऐसे प्राधिकारी से है जो, यथास्थिति, सुसंगत सेवा नियमावली या कार्यपालक अनुदेशों के अधीन किसी सरकारी विभाग या कार्यालय में वरिष्ठ लिपिक के पद पर नियुक्ति करने के लिए सशक्त हो।
भर्ती का स्रोत	(2)	उर्दू अनुवादक-सह-वरिष्ठ लिपिक के पद पर भर्ती मौलिक रूप से नियुक्त उर्दू अनुवादक-सह-कनिष्ठ लिपिकों में से, जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में पांच वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो, चयन समिति के माध्यम से पदोन्नति द्वारा की जायेगी।
पदोन्नति द्वारा भर्ती की प्रक्रिया	(3) (एक)	उर्दू अनुवादक-सह-वरिष्ठ लिपिक के पद पर पदोन्नति द्वारा भर्ती " अनुपयुक्तों को अस्वीकार करते हुए ज्येष्ठता" के आधार पर उत्तर प्रदेश उर्दू अनुवादक-सह-कनिष्ठ लिपिक सेवा नियमावली, 1994 के नियम-17 के उप नियम(1) के अनुसार गठित चयन समिति के माध्यम से की जायेगी।
	(दो)	जिलाधिकारी अभ्यर्थियों की पात्रता सूचियां उत्तर प्रदेश उर्दू अनुवादक-सह-कनिष्ठ लिपिक सेवा नियमावली, 1994 के अधीन उर्दू अनुवादक-सह-कनिष्ठ लिपिक के पद हेतु तैयार की गयी श्रेष्ठतासूची में से समय- समय पर यथासंशोधित उत्तर प्रदेश (लोक सेवा आयोग के क्षेत्र के बाहर के पदों पर) चयनोन्नति पात्रतासूची नियमावली, 1986 के अनुसार तैयार करेंगे और उसे उनकी चरित्र पंजियों और उनसे संबंधित ऐसे अन्य अभिलेखों के साथ, जो उचित समझे जांय, चयन समिति के समक्ष रखेंगे।
	(तीन)	चयन समिति उप प्रस्तर(दो) में निर्दिष्ट अभिलेखों के

आधार पर अभ्यर्थियों के मामलों पर विचार करेगी और यदि वह आवश्यक समझे तो अभ्यर्थियों का साक्षात्कार भी कर सकती है।

(चार) चयन समिति चयन किये गये अभ्यर्थियों की ज्येष्ठता क्रम में, जैसी उस संवर्ग में हो, जिससे उनकी पदोन्नति की जानी है, एक सूची तैयार करेगी और उसे नियुक्ति प्राधिकारी को अग्रसारित करेगी।

नियुक्ति (4) नियुक्ति प्राधिकारी अभ्यर्थियों के नाम उसी क्रम में लेकर, जिनमें प्रस्तर(3) के अधीन तैयार की गयी सूची में आये हों, नियुक्तियाँ करेंगे।

परिवीक्षा (5) (एक) पद पर मौलिक रूप से नियुक्त किये जाने पर प्रत्येक व्यक्ति को 02 वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षा पर रखा जायेगा ।

(दो) नियुक्ति प्राधिकारी ऐसे कारणों से जो अभिलिखित किये जायेंगे, अलग-अलग मामलों में परिवीक्षा अवधि को बढ़ा सकते हैं, जिसमें ऐसा दिनांक विनिर्दिष्ट किया जायेगा, जब तक अवधि बढ़ायी जाय :

परन्तु आपवादिक परिस्थितियों के सिवाय परिवीक्षा अवधि एक वर्ष से अधिक और किसी भी परिस्थिति में दो से अधिक नहीं बढ़ायी जायेगी :

(तीन) यदि परिवीक्षा अवधि या बढ़ायी गयी परिवीक्षा अवधि के दौरान किसी भी समय या उसके अन्त में नियुक्ति प्राधिकारी को यह प्रतीत हो कि परिवीक्षाधीन व्यक्ति ने अपने अवसरों का पर्याप्त उपयोग नहीं किया है, तो उसे उसके मौलिक पद पर प्रत्यावर्तित किया जा सकता है :

(चार) ऐसा परिवीक्षाधीन व्यक्ति, जिसे उप प्रस्तर(तीन) के अधीन प्रत्यावर्तित किया जाय, किसी प्रतिकर का हकदार नहीं होगा।

(पांच) नियुक्ति प्राधिकारी उर्दू अनुवादक-सह-वरिष्ठ लिपिक के पद पर या किसी अन्य समकक्ष या उच्च पद पर स्थानापन्न या अस्थायी रूप में की गयी निरन्तर सेवा को परिवीक्षा अवधि की संगणना करने के प्रयोजनार्थ गिने जाने की सहमति दे सकता है।

स्थायीकरण (6) (एक) उप प्रस्तर(दो) के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, किसी परिवीक्षाधीन व्यक्ति को परिवीक्षा अवधि या बढ़ायी गयी परिवीक्षा अवधि के अन्त में उसकी नियुक्ति में स्थायी कर दिया जायेगा, यदि -

(क) उसका कार्य और आचरण संतोषजनक पाया जाए, और

(ख) उसकी सत्यनिष्ठा प्रमाणित कर दी जाए।

(दो) जहां उत्तर प्रदेश राज्य के सरकारी सेवकों की स्थायी करण नियमावली, 1991 के उपबन्धों के अनुसार स्थायीकरण आवश्यक नहीं है, वहां उस नियमावली के नियम-5 के उप नियम(3) के अधीन यह घोषणा करते हुए आदेश कि संबंधित व्यक्ति ने परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली है, स्थायीकरण का आदेश समझा जायेगा।

ज्येष्ठता (7) पद पर मौलिक रूप से नियुक्त व्यक्तियों की ज्येष्ठता समय-समय पर यथा संशोधित उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक ज्येष्ठता नियमावली, 1991 के अनुसार अवधारित की जायेगी।

वेतनमान (8) (एक) पद पर नियुक्त व्यक्तियों का अनुमन्य वेतनमान ऐसा होगा, जैसा सरकार द्वारा समय-समय पर अवधारित किया जाए।

(दो) इस आदेश के जारी होने के दिनांक को उर्दू अनुवादक-सह-वरिष्ठ लिपिक के पद का वेतनमान रूपये 4000-100-6000 है।

आरक्षण (9) अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षण भर्ती के समय प्रवृत्त सरकार के आदेशों के अनुसार किया जाएगा।

(उमेश सिन्हा)
सचिव।

संख्या-15/10/94(3)का-4-2006, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. महालेखाकार(लेखा एवं हकदारी), उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2. समस्त प्रमुख सचिव/ सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
3. समस्त विभागाध्यक्ष/ प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश।
4. समस्त मण्डलायुक्त / जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
5. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-5
6. वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-1/2
7. वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग-2
8. कार्मिक नियमावली प्रकोष्ठ।
9. सचिवालय के समस्त अनुभाग।

आज्ञा से,
(बी.एन.दीक्षित)
विशेष सचिव।